

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिघोषणा

- ०६ - १२ - १३
तारीख.../.../2013

सं०.....आर०

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव— शिवनपुर थाना संख्या— ०६, परगना—
कुटुम्बा थाना— नबीनगर जिला— औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नबीनगर सुपर थर्मल पावर
परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित
किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांकित गाँव— शिवनपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो
मानक माप के कम वेश, जो १५.६३४ एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहदी
निम्न प्रकार है:—

अधिकृत खेसरा सं० —

पूर्ण :— ६५५, ५८८, ५८७, ५८६, ५८५ एवं ५८४

अंश — ५८९, ५८३, ५८२, ५७२, ५६९, ५६८, ५६५, ५१०, ५०९, ५०७, ५०६, ६५२, ५८१, ५८०, ५७१, ५७०, ६५४ ६०१, ६५६,
एवं ६५७

उत्तर :— अंकोरहा, थाना नं०— ०३

पूरब :— धूजा, थाना नं०— ०५

दक्षिण :— मारर सरगड़ा, थाना नं०— १६

पश्चिम :— ५०४, ५०६, ५१०, ५८९ एवं ६३५

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, रस्लेट या अन्य
खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के
लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले
लिए जायेंगे यह घोषणा अधिनियम १८९४ की धारा ६ और अधिनियम १८९४ की धारा ३ के खंड (१) के उपबंधों
के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।



- प्रतिलिपि १. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि २. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की १० (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि ३. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गaya को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि ४. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि ५. जिला अवर निबंधक औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि ६. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

६८
२१/२/३
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।